नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक. ..../डिप्लोमा/स्था।/2026 दिनांक /05/2026

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा पर अस्थाई रुप से संविदा आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से **11 माह** की समयावधि के लिए पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) के पद पर नियत मानदेय M.V.Sc. धारक हेतु प्रतिमाह रु. 52000/– (fixed) एवं M.V.Sc. एवं NET/Ph.D धारक हेतु प्रतिमाह रु. 56000/– (fixed) पर निम्नानुसार उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में दर्शाये गए पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय (नियोजन स्थल) में नियोजित किया जाता है। साथ ही विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1706–1707/स्था।/2026, दिनांक 13.05.2026 को एतत्‌द्वारा निरस्त किया जाता है।

स.क्र.	नाम	श्रेणी	नियोजन स्थल
1	2	3	4
1.	डॉ. रश्मि विश्वकर्मा	अनारक्षित	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, जबलपुर
2.	डॉ. विनय कुमार मांझी	अनारक्षित	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, मुरैना
3.	डॉ. गौरव साहू	अनारक्षित	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, भोपाल
4.	डॉ. सतीश यादव	अनारक्षित	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, मुरैना
5.	डॉ. शिवांगी बावने	अनारक्षित	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, महू
6.	डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह	अनारक्षित	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, रीवा
7.	डॉ. राकेश सिंह यादव	अ.पि.व.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, मुरैना
8.	डॉ. मनीष कुमार यादव	अ.पि.व.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, मुरैना
9.	डॉ. असद खान	अ.पि.व.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, रीवा
10.	डॉ. आयुषी चौरसिया	अ.पि.व.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, रीवा
11.	डॉ. ब्रजमोहन सिंह धाकड़	अ.पि.व.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, जबलपुर
12.	डॉ. राहुल जामरा	अ.ज.जा.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, महू
13.	डॉ. स्वप्निल मरावी	अ.ज.जा.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, जबलपुर
14.	डॉ. शिवानी धुर्वे	अ.ज.जा.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, महू
15.	डॉ. अखिलेश कुमार करोरिया	अ.जा.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, महू
16.	डॉ. शुभम अवचरे	अ.जा.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, भोपाल
17.	डॉ. प्रीति वर्मा	अ.जा.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, जबलपुर
18.	डॉ. प्रतीक कुमार मिश्रा	ई.डब्ल्यू.एस.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, रीवा
19.	डॉ. उर्वशी चौधरी	ई.डब्ल्यू.एस.	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, भोपाल

क्रमशः......................2

शर्तेः–

1. संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संविदा नियोजन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
2. इस संविदा का पर्यावसान उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय में लिखित रुप से कम से कम एक माह की सूचना देकर किया जा सकेगा।
3. इस संविदा के अंतर्विष्ट अभ्यर्थी के किसी अवांछनीय कृत्य/गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर विश्वविद्यालय के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवाएं समाप्त कर दे।
4. नियोजित अभ्यर्थी को नियोजन आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ स्वयं के व्यय पर 100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रारुप पर करार निष्पादित करना अनिवार्य होगा। (संलग्न– Bond Agreement प्रारुप)।
5. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि प्रथमतः 11 माह की होगी। तत्पश्चात कार्य **बहुत अच्छा (Very Good)** होने पर नियोजन अवधि आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।
6. संविदा नियोजन की दशा में सहायक प्राध्यापक (संविदा) पद पर नियोजित अभ्यर्थी भविष्य में नियमितिकरण की मांग, पेंशन संबंधी सुविधाओं इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी को भारतीय लोकतंत्र के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन करना होगा।
8. अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) अनिवार्य रुप से प्रदाय करना होगा। अन्यथा मानदेय आहरित नहीं किया जावेगा।
9. उक्त चयन प्रक्रिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अ.पि.व. के लिए आरक्षण) नियम 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।
10. नियोजित अभ्यर्थियों को 11 माह की नियोजन अवधि में 12 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
11. किसी भी प्रकार के वाद का कार्यक्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर होगा।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

sd/–

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 1729/डिप्लोमा/स्था।/2026 दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. माननीय कुलपति जी के निजसचिव, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर को मानीय कुलपति की सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता संकाय, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
4. संचालक, पशुपालन पत्रोपाधि, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
5. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा।
6. प्रभारी प्राचार्य, पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा/मुरैना एवं भोपाल।
7. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर। (इस आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चत करें)।
8. सर्व संबंधित..........।
9. सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव